

Z 15040

343

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



NOTARY PUBLIC
UTTAR PRADESH

916306

C. SHARMA, NOTARY
MUMBAI-400001
CHARTERED & P. 1955

1

विक्रय-पत्र

बैनामा अंकन 44,78,000/- रुपये।

स्टाम्प अंकन 3,13,500/- रुपये।

विवरण विक्रय सम्पत्ति:- कृषि भूमिधरी के खाता नं0 355 के खेत नं0 27ज रकबा 3-2-0 पुख्ता अर्थात् 0.7841 हैक्टेयर का अपना बकिया रकबा 0.4468 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि को बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर।

नोटरी सचिव

सहायक न्यायाधीश

वसुधा निवासी
 128 NOV 2008
 स्टाम्प नं० 64 2500
 स्टाम्प नं०

होम डायरी डायरी

128 NOV 2008

नामा 4478... फीरा रजि०...
 उजरत 2004... योग 50204... सब लगभग 1000
 श्री 28/11/08
 पुत्र श्री... पेशा...
 निवासी 21/11/08...
 ने कार्यालय सब रजिस्ट्रार दादरी जिला
 गौतम बुद्ध नगर में आज दिनांक 28/11/08
 समय मध्य 4... बजे प्रस्तुत किया।

सब रजिस्ट्रार दादरी
 28/11/08

इस लेखपत्र का संपादन एवं इसमें लिखी
 जरेबदल मु० 4478, 0004...
 जिसमें से...

नगद घरे समक्ष पाकर उक्त श्री...
 न...
 28/11/08...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

916307

S. C. SHARMA, NOTARY
DAORI-MODA
DIST. G. G. NARAIN

2

विक्रेता एवम् क्रेता दोनों अनुसूचित जाति एवं जनजाति से है।

विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे व भूदान पट्टे आदि की नहीं है।
संक्रमणीय भूमिधरी दर्ज है।

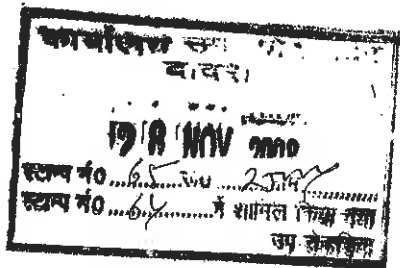
विक्रीत भूमिधरी भूमि जिसका सर्किल रेट 85,00,000/- रुपये प्रति
हैक्टेयर का है। किन्तु क्रेता द्वारा सर्किल रेट से अधिक पर स्टाम्प
शुल्क अदा किया गया है।

विक्रीत भूमि किसी जी०टी०रोड, राज्य रोड अथवा लिंक रोड पर
स्थित नहीं है

विक्रीत भूमि की बाबत क्रेता व विक्रेता दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में
कोई इकरारनामा माहदा वय पंजीकृत नहीं हुआ है।

नोटरीय

भूदान



पुत्र श्री हरि मोम पेश जोशी
निवासी कुणालपुर
व श्री अरुण मोम
पुत्र श्री विनय मोम पेश जोशी
निवासी गडि दादरी
ने की

सब रजिस्टार दफ्तर
28/11/08

विनय मोम

अरुण मोम

हरि मोम



अरुण मोम

साक्षात् भल प्रतीत हति ह चिन्ह
अंगुठा नियमानुसार लिये गये है

उप निष्पन्न
दादरी, गौतम बुद्ध नगर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

916308

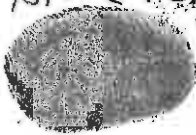
3

हम कि रमचन्दी पुत्र चैटा जाति जाटव निवासी ग्राम चमरावली
रामगढ़, परगना व तहसील -दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर
(विक्रेता, फरीक अख्तल)।

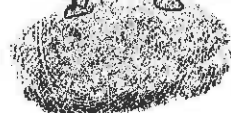
एवम्

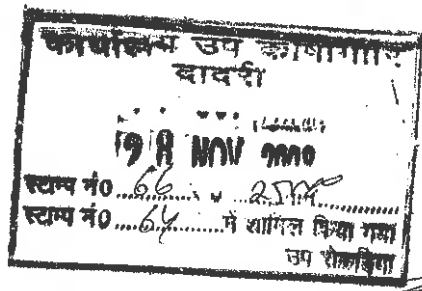
कृष्ण कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति कोरी, निवासी ग्राम
तुंगलपुर, तहसील व जिला- गौतमबुद्धनगर (उत्तर प्रदेश)
(क्रेता फरीक दोयम)।

रमचन्दी



कृष्ण कुमार







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

916309

4

विदित हो कि कृषि भूमिधरी के खाता नं० 355 के खेत नं० 27ज रकबा 3-2-0 पुख्ता अर्थात् 0.7841 हैक्टेयर का अपना बकिया रकबा 0.4468 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि को बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर, जिसका फरीक अव्वल एकमात्र मालिक व संक्रमणीय भूमिधर स्वामी है। जोकि आज दिन तक फरीक अव्वल की ओर से हर प्रकार के भार, बंधक

नि० रम-चन्दी

रुक्मिणी शाह

कलकत्ता उच्च न्यायालय
 दारुनी
 12 NOV 1990
 स्टांप नं० 67 25 मिन
 स्टांप नं० 67 में शामिल किया गया
 उच्च न्यायालय



भारतीय गैरन्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



INDIA

RS.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

916310

5

आदि से पाक साफ व सुरक्षित है। यानि कि किसी भी स्थान पर आड़, रहन, बय, हिबै, माहदाबय, जमानत आदि से ग्रस्त नहीं है तथा उपरोक्त भूमि की बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद विवाद विचाराधीन नहीं है तथा फरीक अव्वल के

नि० रमचन्द्र

रुण कुमार

कायदा नं० ३५ कायदा नं० ३५
वावरी
12 NOV 1980
स्टाम्प नं० 68 25 नं०
स्टाम्प नं० 68 में शामिल किया गया
उप शेखरिया



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



P.S.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

916311

6

अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति हकदार या हिस्सेदार नहीं है।
कोई कारण बाधा का उपरोक्त भूमिधरी भूमि को विक्रय करने
में नहीं आता है। अतः फरीक अब्बल ने अपनी समस्त शुद्ध
नि ० २४-चन्द

रुणात्कपाल

काशी जिले के जिला कार्यालय
 दादरी
 28 NOV 1990
 स्टांप नं० 69 से 250
 स्टांप नं० 64 में शामिल किया गया
 दादरी



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

916312

7

बुद्धि व स्थिर चित्त की दशा में खूब सोच समझ कर बिना किसी दबाव व बहकाव के उक्त भूमि को सर्व अधिकार सहित आज की बजार कीमत के बदले अंकन रुपये 44,78,000/- (चब्बालीस लाख अट्ठेहत्तर हजार रुपये मात्र) जिसके आधे

नि. रमचन्दी

मु. ग. ट. पा. ट.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

प्रदेश UTTAR PRADESH

916313

8

अंकन रुपये 22,39,000/-होते है में इसी समय से हाथ
उपरोक्त फरीक दौयम को बेच दी तथा कतई वय कर दी
तथा समस्त विक्रीतधन अर्थात भूमि की कुल कीमत

नि० रमचन्दी

रुण कुजाल

पञ्चांगिका ३५ अंश
३५ अंश
१५ ८ NOV १९९९
संख्या नं० ७२ २५००
संख्या नं० ६५ १०५०० (१९९९) १९९९





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

916314

9

निम्नलिखित अनुसार प्राप्त करके बेची भूमि को कब्जे अधिकार अपने से फरीक दोयम में देकर उस पर फरीक दोयम को अपने ही समान मालिकाना मालिक काबिज व दखिल कर दिया है। अब बैय किये पश्चात विक्रीत भूमि के

1. नो रमचन्दी

रुद्रा रुद्रा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

916315

10

किसी भी अंश से फरीक अव्वल व वारिसान फरीक अव्वल
का कोई वास्ता या ताल्लुक किसी भी किस्म का शेष नहीं रहा
है तथा ना ही भविष्य में होगा। कब्जा मौके पर फरीक दोयम

निर्वाहकर्ता

मुद्राक्षेप

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



INDIA

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

916316

11

को बहैसियत मालिक पूर्ण रूप से करा दिया है। अब आज की तारीख से ही फरीक दोयम को सर्वथा हक व अधिकार होगा कि वह खरीदकर्ता कृषि भूमिधरी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग मालिकाना अपने में लाकर चाहे जिस प्रकार से निरामक

रुबण रुभा

कार्यालय उप कोषा
दावरा

28 NOV 1980

रजम नं० 24 2500

स्लान नं० 64



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

916317

12

मालिकाना लाभ उठावें। यदि विक्रीत भूमि का कोई अंश किसी भी नुकश कानूनी कमी आदि के कारण से कब्जे मालिकाना क्रेता फरीक दोयम से निकल जावेगा या कब्जा फरीक दोयम

निर्देशिका

रुपय अंश

कार्यालय उप काशीगंज
दादरी

12 8 NOV 2019

स्टाम्प नं० 25 25

स्टाम्प नं० 25 ने शामिल किया गया
उप रोका दिया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 163804

13

को न मिले या फरीक अव्वल मालिकाना मालिक हस्ताक्षरकर्ता
सिद्ध न हुआ या अन्य किसी कारण से कब्जे मालिकाना
फरीक दोयम से कुल या आंशिक रूप से निकल जावेगी तो
हर ऐसी दशा में फरीक दोयम को हक होगा कि वह उस

1/10 रामचन्द्र

कृष्ण कुमार

43

28/11/00

प्रमाणित करने के लिए
प्रमाणित करने का प्रमाण
प्रमाणित करने का प्रमाण
प्रमाणित करने का प्रमाण

2540

प्रमाणित करने का प्रमाण (प्रमाणित करने का प्रमाण)

5000

प्रमाणित करने का प्रमाण

प्रमाणित करने का प्रमाण

प्रमाणित करने का प्रमाण

प्रमाणित करने का प्रमाण





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 164689

14

समय की बजार कीमत को जिस प्रकार चाहे बजरिये अदालत
फरीक अव्वल व वारसान फरीक अव्वल की अन्य चल व
अचल सम्पत्ति से वसूल कर लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा।

नि० २४६८९

रु० ५०००

44
 43
 28/11/00
 21/12
 5000

बसोत कुमार स्टाम्प डिप्लोमा
 सा. नं. 9- अगति 11-3-2009
 राष्ट्रीय कम्पोजिंग पाठशाला
 दिल्ली कीका 15000/-





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 925477

15

दाखिल खारिज बेची भूमिधरी का बनाम फरीक दोयम के करा
दूंगा या फरीक दोयम इस विक्रय पत्र के आधार पर सरकारी
अभिलेखों में अपना नाम स्वयं दर्ज करा लें तो कोई ऐतराज
नहीं होगा। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है तथा आस-पास भी
कृषि भूमि है।

नं० २४-एन०

रु० २४-एन०

45 28/11/00
 43
 21/12
 100

समस्त कृषक सहाय विभाग
 का. नं. १२ - अकाली - २०१९
 राष्ट्रीय कृषि विकास बोर्ड
 दिल्ली पोस्टा १५०००१/-





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 925478

16

विवरण धन अदायगी :- अंकन 44,78,000/- रुपये पेशगी फरीक अव्वल (विक्रेता) ने फरीक दोयम (क्रेता) से प्राप्त कर लिये। अब कोई पैसा विक्रेता का क्रेता की ओर बाकी नहीं रहा है।

रु. 24,10,000/-

रु. 60,000/-

46 20/11/00
काम्य दिनांक की तिथि
काम्य क्रम क्रमों का प्रयोग
काम्य क्रमों का प्रयोग व पूरा पता
काम्य की प्रगति

1000
काम्य क्रमों का प्रयोग
क्र. नं. 9- अति 11-3-2009
काम्य क्रमों का प्रयोग
काम्य क्रमों का प्रयोग 15000/-





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 925479

17

उपरोक्त लिखित दस्तावेज फरीक अब्बल व फरीक
दोयम की जानकारी के आधार पर तैयार की गयी। दस्तावेज
पर चस्पा फोटो गवाहों के कथन पर सत्यापित है।

नि० रमचन्द्र

रु० रमचन्द्र

42 28/11/08
कर्मचारी का नाम लिखने की जगह
कर्मचारी का पता लिखने की जगह
कर्मचारी का नाम व पता लिखने की जगह
कर्मचारी का नाम लिखने की जगह

1000
कर्मचारी का नाम लिखने की जगह
कर्मचारी का नाम लिखने की जगह
कर्मचारी का नाम लिखने की जगह
कर्मचारी का नाम लिखने की जगह



भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 138463

18

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर
काम आवे। इति॥

रमेश चन्द्र

रुपय का

गवाह - 1 धीरेश्वर

हरिद्वार जी. का. प्रकाश
की तुंगलपुर



गवाह - 2 लालचन्द शर्मा निवासी
रखी बाई



तारीख 28-11-2008 ई० मसौदाकर्ता रमेश चन्द्र शर्मा
लेखक, दादरी (गौतमबुद्धनगर) लाहौरी नं०-1 बंगला लेखक ला.न.-1

40
28/11/08
स्वामी विद्या के विद्यालय
स्वामी विद्या के विद्यालय का प्रयोग
स्वामी विद्या का नाम व पूरा पता
स्वामी की प्रशस्ति

5002
वसुधैव कुटुम्बकम् स्वामी विद्यालय
का. नं. 9- अक्टूबर 31-3-2009
पञ्चशीला कम्प्यूटर वाइरी
का. नं. 15000/-

28/11/08
आज दिनांक 28/11/08 को कोटेशन
1659
ए. वि. प्रमाण संख्या 311 उपर संख्या 15040
350
ए. वि. प्रमाण संख्या 311 उपर संख्या 15040
ए. वि. प्रमाण संख्या 311 उपर संख्या 15040

उप निदेशक
स्वामी विद्या

